प्रेस विज्ञप्ति

07/05/2024

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, लखनऊ ने धन शोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत टपरी सहारनपुर, उ.प्र. में स्थित शराब निर्माण इकाई से संबंधित 18 कृषि भूमि तथा **मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड)सीसीएल(, सहारनपुर,** उ.प्र. से संबंधित बैंक खाते में **20.38 करोड़ रुपये** की धनराशि के रूप में अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है ।

ईडी ने उ.प्र. पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन कोतवाली सहारनपुर, उ.प्र. में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड)जिसे "सीसीएल" कहा जाएगा(, टपरी, सहारनपुर के निदेशकों/कर्मचारियों के साथ-साथ सीसीएल द्वारा निर्मित बेहिसाब शराब की अवैध बिक्री के लिए अन्य के विरुद्ध दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि सीसीएल के अधिकारियों ने सीएल-2 गोदाम मालिकों के साथ मिलीभगत करके सीएल-2 गोदाम मालिकों को एक ही गेट पास पर अवैध रूप से निर्मित देसी शराब की आपूर्ति के लिए नकली बार कोड और क्यूआर कोड बनाने की साजिश रची। इसके बाद शराब को राज्य उत्पाद शुल्क से बचने के इरादे से बिना किसी कागजी कार्रवाई के विभिन्न शराब दुकानों/बाजारों में बेच दिया गया जिससे सरकारी राजस्व को 34.73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और उपरोक्त कंपनी के मालिक और उसके संबद्ध व्यक्तियों को लाभ हुआ।

इससे पहले इस मामले में, 24/05/2023 को एक अनंतिम कुर्की आदेश)पीएओ(जारी किया गया था जिसमें 29.07.2021 को ली गई तलाशी के दौरान संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसरों से बरामद और जब्त की गई 11.26 लाख रुपये की राशि कुर्क की गई थी। माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकारी, नई दिल्ली ने दिनांक 06.11.2023 के पुष्टिकरण आदेश के माध्यम से उपरोक्त पीएओ की पुष्टि की। इस मामले में यह दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश है तथा अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य **रु. 20.50 करोड़ है**।

आगे की जांच जारी है।